



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072025-264547
CG-DL-E-11072025-264547

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3059]
No. 3059]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 11, 2025/आषाढ़ 20, 1947
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 11, 2025/ASHADHA 20, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2025

का.आ. 3129(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23चड.) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ख) के उप-खंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद् द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2025 को या इस तारीख से शासकीय राजपत्र इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से की गई या किए जाने से छूट गई बातों के सिवाय, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 19 अप्रैल, 2021 की भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना [अधिसूचना संख्या 33/2021/फा.सं. 370142/6/2021-टीपीएल] संख्या का. आ. 1661 (अ) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, प्रारंभ के पैराग्राफ में, “31 मार्च, 2025” अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर “31 मार्च, 2030” अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. 75/2025/फा. सं. 500/विविध/एस10(23चड.)/एफटीएंडटीआर-II]

बह्नि तेलंगा, अवर सचिव

नोट: यह मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 19 अप्रैल, 2021 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1661(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी और बाद में दिनांक 18 जुलाई, 2024 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2831(अ) द्वारा संशोधित की गई थी।